न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–ब्यावर) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 107/2021

GCMS NO. : 2021/166

–: प्रार्थीगण :–

1. विवेक पुत्र दिनेश
2. उषा कंवर पत्नी दिनेश
3. महावीर सिंह पुत्र दिनेश
4. महेश पुत्र राजेन्द्र
5. आनन्द सिंह पुत्र तेजदान
6. कौशल्या कंवर पुत्री तेजदान

जातियान– चारण, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–

1. अर्जुन सिंह पुत्र अमर सिंह
2. सुमेर सिंह पुत्र अमर सिंह

जातियान– राजपूत, निवासीगण– डिगरना, तहसील– जैतारण, जिला– ब्यावर राज०।

3. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर राज०।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.07/07/2021

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, श्री सुनिल सैन, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री रूस्तम खान भाटी, श्री नेमीचन्द सिंगारिया, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनाँकः– 27/06/2024

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा डिगरना भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि डिगरना से फालका जाने वाले रास्ते के दक्षिण में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि रास्ते के चिपते ही दक्षिण में खसरा नम्बर 408 रकबा 0.9470 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 407 रकबा 1.1088 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है तथा इसके दक्षिण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 रकबा 1.2383 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि/खेत में खड़ाई बुवाई कटाई तथा कृषि प्रयोजनार्थ कार्य हेतु आने जाने का पीढीया/कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की [illegible] खसरा नम्बर 408, 407 की भूमि के पश्चिमी ओर स्थित [illegible] से आते जाते/आवागमन करते है, जो रास्ता मौके पर करीब 15 फुट चौड़ाई [illegible] रास्ते के अलावा [illegible] कोई रास्ते का विकल्प प्रार्थीगण के खेत में आने ज[illegible] का नहीं है। इसी [illegible] से प्रार्थीगण स्वयं, मजदूर, मवेशी व ट्रेक्टर आदि आते–जाते/आवागमन काम में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

लेते है। इसके अलावा मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्श में अपनी खातेदारी की भूमि/खेत को लाल रंग से व अप्रार्थीगण की खतेदारी की भूमि खसरा नम्बर 408, 407 की भूमि को हरे रंग से तथा प्रस्तावित रास्ते की भूमि को नक्शे में मार्क ए, बी से सी, डी पीले रंग में दर्शाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में मार्क ए, बी से सी, डी से दर्शित रास्ते से होकर प्रार्थीगण व उसके पूर्वज अपने खेतो में आने जाने के लिये काम में लेते आ रहे है। मौके पर रास्ता चालू है वर्तमान में बारिश का मौसम होने से प्रार्थीगण अपने खेत की खड़ाई बुवाई के लिये हेतु ट्रेक्टर लेकर दिनाँक 25.06.2021 को जाने पर अप्रार्थीगण इस रास्ते में बाधा व व्यवधान डाला तथा रोक टोक हुई तब प्रार्थीगण व अन्य लोगो ने समझाईश की व अप्रार्थीगण को कहा कि रास्ता बन्द नहीं करे, परन्तु उक्त रास्ते को अप्रार्थीगण बन्द करने की धमकी दी तथा रास्ता बन्द करने पर आमादा हुये। यदि अप्रार्थीगण लाठी व हठधर्मिता से रास्ते को बन्द कर देते है तो प्रार्थीगण अपने खेत में फसल की बुवाई नहीं करने से आर्थिक नुकशान भी होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत में सम्भव नहीं होगी। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को यह भी कहा कि इस रास्ते लेने बाबत मुआवजा की राशि भी देने को तैयार है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शेनुसार जितनी जमीन रास्ते के रूप में काम आयेगी। उतनी जमीन प्रार्थीगण जमाबन्दी में बतौर रास्ते के दर्ज करवाने के अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। प्रार्थीगण रास्ते की मुआवजे की राशि भी अप्रार्थीगण को अदा करने के लिये तैयार है तथा प्रार्थीगण खेत में जाने हेतु सबसे निकटतम एवं कम दूरी का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत में से ही है। जो नक्शे में पीले रंग से दर्शाया है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिये अत्यधिक आवश्यक है। प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के तहत पेश किया है जो अन्दर म्याद है तथा निर्धारित न्याय शुल्क पेश है। जो प्रार्थना पत्र श्रीमान् के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेज तथा नजरी नक्शा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत नजरी नक्शे में अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 408, 407 जो नक्शे में पीले रंग से मार्क ए, बी से सी, डी बताया है मे से होकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 406 में आने जाने हेतु/आवागमन के लिये रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान करावें तथा रास्ता को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जावें प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र स्वीकार की जावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] किया। अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा वकालतनामा एवं जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य खसरा संख्या 406 रकबा 1.83 हैक्टेयर की भूमि तेजदान पुत्र प्रभुदान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित वंशावली भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य कि सरहद मौजा डिगरना भू अभिलेख निम्बोल तहसील जैतारण में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि डिगरना से फालका जाने वाले रास्ते के दक्षिण दिशा में स्थित होने का कथन है कि गलत होने से अस्वीकार है। डिगरना से फालका जाने वाली रोड़ के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 408, 409 की कृषि भूमि आई हुई है। इस कृषि भूमियों के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 410 व 407 की कृषि भूमि आई हुई है। शेष तथ्य व प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा गलत होने से अस्वीकार है। खसरा संख्या 408, 407 अप्रार्थीगणों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है जिसके पश्चिम दिशा में कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में से होकर न तो कभी निकले है न ही कोई रास्ता अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में स्थित है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी एवं कृषि भूमि में आने जाने के लिए अन्य से होकर आते–जाते रहे है। प्रार्थीगणों ने अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में उतर से दक्षिण दिशा में 15 फीट चौड़ा रास्ता, नक्शे में एबीसीडी से दर्शा कर प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किया है, वह गलत, आधारहीन दर्शाया गया है। शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत खातेदारी कब्जेकाश्त की कृषि भूमि में आने जाने हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से इस धारा में अंकित प्रावधान अनुसार रास्ता प्राप्त किया जाता है लेकिन प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य व नक्शे अनुसार मौके पर रास्ता चालू है तथा रास्ते को अप्रार्थीगणों ने बन्द करने की धमकी दी तथा रास्ता बन्द करने पर आमादा है। जिसके आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने के योग्य नहीं क्योंकि वर्तमान में चालू रास्ते में बाधा, रुकावट कारित करने के संबंध में धारा 251 ए के अनुसार प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, शेष तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत पत्र 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम चलने योग्य नहीं होने से मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय द्वारा भू.अ.नि. निम्बोल की फर्द मौका एवं जांच रिपोर्ट दिनाँक 30.12.2021 के अनुसार मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम डिगरना के खसरा संख्या 406 रकबा 1.2310 हैक्टर में जाने हेतु वर्तमान में कोई रास्ता नहीं है। रास्ते के अभाव में उक्त भूमि कई सालों से बिना जोते पड़ी है। मौका स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार उक्त भूमि में जाने हेतु निकटतम रास्ता का नजरी नक्शा हरी स्याही से दर्शाया गया है। जिसे एबी

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मार्क किया गया है। उक्त रास्ते की कुल लम्बाई 90 गटटा व चौड़ाई 2 गटटा के हिसाब से कुल 180 वर्गगटटा यानि 0-09 बीघा भूमि बनती है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 407 व 408 की पश्चिम दिशा की मेड़ के सहारे निकलेगा। उक्त रास्ते का रकबा खसरा संख्या 408 में 0-04 बीघा एवं खसरा संख्या 407 में 0-05 बीघा रहेगा। उक्त रास्ता ए बी ही खसरा संख्या 406 में जाने के लिए उपर्युक्त एवं निकटतम रहेगा। राजस्व लेखाकार के अनुसार प्रस्तावित रास्ते में प्रस्तावित भूमि खसरा संख्या 407 व 408 में से कुल 9 बीस्वा भूमि यानि 728.42 वर्गमीटर भूमि है। उक्त भूमि का मुआवजा राशि की गणना निम्नानुसार है- ग्राम डिगरना की डीएलसी दर 48587 प्रति बीघा का प्रति वर्गमीटर दर 30.01 तथा उसका दुगुना 60.02 का 728.42×60.02 की मुआवजा राशि 43800/- बनती है।

बहस वकील उभयपक्ष की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। बहस समायत कि गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात एवं मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील उभयपक्ष पर गौर कर मनन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा डिगरना भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि डिगरना से फालका जाने वाले रास्ते के दक्षिण में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि रास्ते के चिपते ही दक्षिण में खसरा नम्बर 408 रकबा 0.9470 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 407 रकबा 1.1088 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम स्थित है तथा इसके दक्षिण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 406 रकबा 1.2383 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण खसरा नम्बर 408, 407 की भूमि के पश्चिमी ओर स्थित रास्ते से आते जाते/आवागमन करते है, जो रास्ता मौके पर करीब 15 फुट चौड़ाई में है। उक्त रास्ते का अलावा अन्य कोई रास्ता का विकल्प प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का नहीं है।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य खसरा संख्या 406 रकबा 1.83 हैक्टेयर की भूमि तेजदान पुत्र प्रभुदान के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। डिगरना से फालका जाने वाली रोड के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 408, 409 की कृषि भूमि आई हुई है। इस कृषि भूमियों के दक्षिण दिशा में खसरा संख्या 410 व 407 की कृषि भूमि आई हुई है। खसरा संख्या 408, 407 अप्रार्थीगणों की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की कृषि भूमि है जिसके पश्चिम दिशा में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

रास्ता नहीं है। धारा 251 ए के अनुसार प्रार्थीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

3. प्रकरण में भू–अभिलेख निरीक्षक, निम्बोल से तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन चाहा गया। भू–अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 06.01.2022 को तैयार एवं दिनाँक 11.01.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन मय टीआरए रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 406 तक आगमन के लिए वर्तमान में कोई अभिलिखित रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की रास्ता बाबत् मांग आत्यंतिक है। रास्ते के अभाव में उक्त भूमि कई सालों से बिना जोते पड़ी है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 406 तक पहुंच के लिए एकमात्र विकल्प निम्न है– निकटतम रास्ते को नजरी नक्शा में हरी स्याही से दर्शाया गया है। जिसे एबी मार्क किया गया है। उक्त रास्ते की कुल लम्बाई 90 गट्टा व चौड़ाई 2 गट्टा के हिसाब से कुल 180 वर्गगट्टा यानि 0–09 बीघा भूमि बनती है। उक्त रास्ता खसरा संख्या 407 व 408 की पश्चिम दिशा की मेड़ के सहारे निकलेगा। उक्त रास्ते का रकबा खसरा संख्या 408 में 0–04 बीघा एवं खसरा संख्या 407 में 0–05 बीघा रहेगा। उक्त रास्ता एबी ही खसरा संख्या 406 में जाने के लिए उपर्युक्त एवं निकटतम रहेगा।

4. **रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः–**

251– क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना–(1) जहां

(क)– कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)– कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है–

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् [illegible] समाधान हो जाता है कि–

(i)– यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

(ठ)– अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2)– जहां–उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)– वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इस प्रकार पूर्व विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत तक पहुंच के लिए अभिलिखित रास्ता प्रदान करने हेतु की गई मांग आत्यंतिक आवश्यकता पर आधारित है। प्रार्थीगण की जोत खसरा संख्या 406 तक पहुंच के लिए कोई अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है। यह उपलब्ध भू नक्शा तथा तहसीलदार जैतारण की ओर से प्रेषित जांच प्रतिवेदन से सुस्पष्ट है। अतः प्रार्थीगण द्वारा केवल सुविधा के लिए पहुंच मार्ग की मांग नही की गई है। तहसीलदार जैतारण द्वारा जांच प्रतिवेदन में प्रस्तावित विकल्प खसरा संख्या 4[illegible] में 0–04 बीघा एवं खसरा संख्या 407 में 0–05 बीघा भूमि को रास्ते के रूप में खसरा संख्या 407 व 408 की पश्चिम दिशा की मेड़ के सहारे निकलते हुए प्रस्तावित किया गया है एवं इसे ही खसरा संख्या 406 में जाने के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

लिए उपर्युक्त एवं निकटतम बताया गया है। जिसकी कुल लम्बाई 90 गट्टा (594 फिट) व चौड़ाई 2 गट्टा (13.2 फिट) के हिसाब से कुल 180 वर्गगट्टा यानि 0–09 बीघा भूमि बताई गई। अतः प्रस्तावित रास्ता न्यूनतम एवं निकटतम विकल्प होने के कारण स्वीकार योग्य है।

6. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील जैतारण की रिपोर्ट अनुसार प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 48587/– रूपये प्रति बीघा अर्थात 30.01 रूपये प्रति वर्गमीटर है। उक्त प्रस्तावित रास्ता भूमि जिसका कुल रकबा 9 बिस्वा भूमि यानि 728.42 वर्गमीटर की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(ıı)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् की वर्तमान प्रचलित डी0एल0सी0 दर अर्थात् 48587/– रूपये प्रति बीघा अर्थात् 30.01 रूपये प्रति वर्गमीटर की दुगुनी अर्थात 60.02 रूपये प्रति वर्ग मीटर मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0.09 बिघा अर्थात 728.42 वर्गमीटर के लिये खसरा संख्या 408 व 407 की खातेदारी आराजी हेतु प्रभावित अप्रार्थीगण खातेदारान् को कुल प्रतिकर राशि 43800/– रूपये (अक्षरे तैयालीस हजार आठ सौ रूपये मात्र) निर्धारित की जाती है।

अतः उपर्युक्त बिन्दुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बखूबी साबित होने से इसे स्वीकार किया जाना तथा प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 408, 407 अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में मार्क ए से बी भूमि में से प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 406 की सीमा तक पहुंच के लिए भू अभिलेख निरीक्षक निम्बोल की मौका रिपोर्ट में खसरा संख्या 408, 407 में से मार्क ए से बी के रूप में दर्शित प्रस्तावित रास्ता जिसकी लम्बाई 90 गट्टा (594 फिट) व चौड़ाई 2 गट्टा (13.2 फिट) यानि 180 वर्गगट्टा जो कि 0–09 बीघा अर्थात 728.42 वर्गमीटर रास्ता दर्ज किया जाना तथा इसके प्रतिकर स्वरूप निर्धारित कुल राशि 43800/– रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् को प्रभावित रकबा एवं हिस्सा अनुसार भुगतान किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी ग्राम डिगरना भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निम्बोल, तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 406 रकबा 1.2[illegible]8 हैक्टेयर की जमीन तक पहुंच मार्ग के लिये निकटतम अभिलिखित रास्ता अप्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 407, 408 में से 90 गट्टा (594 फिट) लम्बा व 2 गट्टा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (ब्यावर)

(13.2 फिट) चौडा रास्ता जिसका कुल रकबा 0–09 बीघा अर्थात 728.42 वर्गमीटर बनता है, भूमि पर से अप्रार्थीगण खातेदारान की अभिधृति निर्वापित करते हुए, इसका रकबा अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से कम करते हुए इसे सार्वजनिक रास्ता सिवाय चक स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता भूमि की प्रतिकर राशि राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(।।)(क) के अनुसार प्रभावित खसरान् प्रचलित डी0एल0सी0 दर 48587 प्रति बीघा यानि प्रति वर्गमीटर दर 30.01 (दो गुणा दर 60.02) की दुगुनी मानते हुये रास्ते हेतु प्रयुक्त एवं प्रभावित आराजी में से कम किया गया कुल रकबा 0–09 बीघा अर्थात् 728.42 वर्गमीटर के लिये कुल प्रतिकर राशि 47,000/– रूपये (अक्षरे सैंतालिस हजार रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि 43,800/– रूपये प्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रभावित खातेदारान् के मध्य रकबा व हिस्से के अनुपात में भुगतान करें। सम्बन्धित खातेदारान् द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू–अभिलेख में रास्ता अमल–दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। भू–अभिलेख निरीक्षक निम्बोल द्वारा तैयार दिनांक 06.01.2022 की फर्द मौका रिपोर्ट इस आदेश का भाग होगी। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)

निर्णय आज दिनाँक 27.06.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला–ब्यावर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.08.24 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested